



अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : 125

दिनांक : 07/10/16
e-mail : dswju2016@gmail.com

प्रति,

श्रीमान प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक महोदय
समस्त सम्बद्ध अध्ययनशाला/महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय : अध्ययनशाला/महाविद्यालय में रैगिंग पर अंकुश लगाने के निर्देशों का पालन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 402/264/83/आउशि/शाखा-5''अ''/2014 दिनांक 27 मई 2015 एवं सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O.No. F.1-15/2009(ARC) pt-III date 8th August, 2016.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांकित एवं सन्दर्भित में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.05.2009 में दिशा निर्देश जारी किये हैं कि शिक्षण संस्था/महाविद्यालय में रैगिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है।

अतः जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध समस्त शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों में रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु अपने स्तर पर ऐंटी रैगिंग समिति एवं रैगिंग निरोधक दस्ते का गठन करें। यदि आपकी संस्था/महाविद्यालय में रैगिंग से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कार्यवाही कर उसकी सूचना अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को प्रेषित करें।

धन्यवाद,

भवदीय

संलग्न : संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

(डॉ० केशव सिंह गुर्जर)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(डॉ० केशव सिंह गुर्जर)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण